न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
जमानत आवेदन संख्या–372 / 2026
राघोपुर थाना कांड संख्या–149 / 2026
मो0 क्यामुल बनाम् बिहार राज्य

09.07.2026

काराधीन आवेदक अभियुक्त **मो0 क्यामुल** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन, जो राघोपुर थाना कांड संख्या–149 / 2026 अंतर्गत धारा–25(1–b)a / 26 / 35 आर्म्स एक्ट से संबंधित है, को आज प्रचालित किया गया तथा न्यायालय द्वारा सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक–26.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार वर्मा को सुना।

आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संदेह के आधार पर फोन से बुलाकर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार के अवैध हथियार का खरीद–बिक्री नहीं करता है तथा आवेदक अभियुक्त के पास से किसी भी अवैध हथियार का बरामदगी नहीं हुआ है और न ही उक्त हथियार से आवेदक अभियुक्त को कुछ मतलब व सरोकार है। आवेदक अभियुक्त बाहर रहकर टेलर मास्टर का कार्य कर अपने परिवार एवं बाल–बच्चों का गुजर–बसर करता है। आवेदक अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अपने परिवार का एकमात्र कर्ता है। आवेदक अभियुक्त के जेल में रहने से पारिवारिक स्थिति खराब हो गयी है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–26.04.2026 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे एवं वह बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उन्हें नियमित जमानत प्रदान करने की कृपा की जाए।

आवेदक अभियुक्त, सूचक पु0अ0नि0 अमित कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित राघोपुर थाना कांड संख्या–149 / 2026 अंतर्गत धारा–25(1–b)a / 26 / 35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक–24.04.2026 को समय 20:10 बजे सूचना मिली कि शाहंसाह एवं मो0 क्यामुल अवैध हथियार की तस्करी करते हुए तथा अवैध हथियार जिला मुंगेर से मंगवाकर बेचा करते हैं। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचिक करते हुए पु0अ0नि0 अमिय प्रसून, पु0अ0नि0 राजु कमार, मुकुल आजाद, पु0अ0नि0 स्वीटी कुमारी साथ सशस्त्र बल के सि0–165 बिहारी कुमारी, सिंह0–175 कृष्णा कुमार के साथ सत्यापन कर शाहंसाह को सिमराही पेट्रोल पम्प के सामने मुख्य सड़क पर से पूछताछ

हेतु अभिरक्षा में लेते हुए इसके मोबाईल से मो0 क्यामुल को बुलाया, तो मो0 क्यामुल, मो0 लाल के घर आया तथा मो0 क्यामुल को सिमराही हटिया के पास मो0 लाल के घर से पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ किया, तो इन्होंने बताया कि दिनांक–23.04.2026 को गद्दी चौक पर स्थित बाबुल के मोटरसाईकिल दुकान पर गद्दी चौक का परवेज एवं मेराज द्वारा एक झोला दिया गया, जिसमें अवैध देशी हथियार था, जिसे मकतब चौक पर कामिल, जो फहाद का मामा है तथा मचहा का सरफराज को देने के लिए बोला गया। हमदोनों गद्दी चौक से मकतब चौक की ओर अपनी हिरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल राजिस्टर नं0–BR-50AG-8776 से जा रहे थे, तो जैसे ही 09:00–09:30 की रात्रि ग्राम हुलास नहर पुल के पास पहुंचे, तो देखे कि दो गाड़ी से उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा लोगों को रोक कर जांच की जा रही थी। मैं शंहसाह उक्त झोला को फेक कर भाग गया तथा क्यामुल को उत्पाद विभाग की पुलिस को रोक कर जांच करने लगी। कुछ देर बाद क्यामुल द्वारा इन्हें बताया गया कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने इन्हें छोड़ दी और ये घर चला आया हूं। फेंका हुआ झोला उत्पाद विभाग की पुलिस उठाया कि नहीं उठाया, इन्हें नहीं पता। उक्त फेंके हुए झोले के बारे में पूछने पर बताये कि अगर उत्पाद विभाग की पुलिस ने झोला नहीं उठाया होगा तो झोला सड़क के उत्तर जंगल में गिरा होगा। इसके निशानदेही पर उक्त स्थल पर समय करीब–01:30 बजे पहुंचा तथा पुलिस पार्टी द्वारा खोजबीन करने लगा, तो नहर पुल के सड़क से सटे पश्चिम की ओर झाड़ी में एक नीला रंग का पुराना झोला मिला, जिसे खोलने पर पांच अद्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल बरामद हुआ तथा एक लोहे का देशी कट्टा, जिसके बट पर लकड़ी लगा हुआ तथा दों जिंदा कारतुस तथा दोनों के पंदी पर ठोकर लगा हुआ और दो अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल में बैरल लगा हुआ था। स्वतंत्र साक्ष्पी का खोजबीन किया गया, लेकिन अधिक रात्रि होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं मिले, तो साथ के सशस्त्र बल के दो सिपाही को स्वतंत्र साक्ष्पी मानते हुए उनके समक्ष उक्त बरामद अवैध अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल, लोहे का देशी कट्टा तथा दो जिंदा कारतूस और एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल तथा दोनों पकड़ाये व्यक्ति के पास से दोनों का एंड्रोयड मोबाईल सेट बरामद कर विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया तथा जब्ती सूची की एक प्रति पकड़ाये दोनों लड़का को हस्तगत कर गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया तथा इसकी सूचना परिजनों को दिया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय पक्ष का बहस सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पर अवैध हथियार की तस्करी करते हुए तथा अवैध

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
जमानत आवेदन संख्या–372 / 2026
राघोपुर थाना कांड संख्या–149 / 2026
मो0 क्यामुल बनाम् बिहार राज्य

हथियार जिला मुंगेर से मंगवाकर बेचने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका–3 में प्रस्तुती सह जब्ती सूची का उल्लेख है। कंडिका–5 में सूचक पु0अ0नि0 अमित कुमार का पुनः बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने प्राथमिकी में वर्णित तथ्य का पूर्णतः समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका–6, 35, 36, एवं 37 में साक्षीगण का बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्य को समर्थन किया है। कंडिका–7 एवं 8 में तलाशी एवं जब्ती साक्षी का बयान अंकित है, इन्होंने भी अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। प्रस्तुत वाद में जब्ती सूची के साक्षी पुलिस वाले है तथा उक्त वाद में कोई भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–70 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज होने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, अभियुक्त आवेदक का यह प्रथम अपराध है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–26.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में और अवधि के लिए रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और विशेषतः आवेदक अभियुक्त के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप आवेदक अभियुक्त यथा **मो0 क्यामुल** को विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मो0–10,000 / –(दस हजार रुपये) के दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे और वाद के निष्पादन में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं करने पर विद्वान विचारण न्यायालय अभियुक्त आवेदकगण का बंध–पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-
(तेज प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।